राजस्व वाद 21/2020
भागुराम बनाम आयचुकी वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 21/2020

वादीगण –

1. भागुराम पुत्र लालूराम जाति–मेहत्तर निवासी–ऊंटालड़ तहसील–सुजानगढ़ जिला–चुरू
2. गणपतराम पुत्र रेखाराम जाति–मेहत्तर निवासी–खिंयाला तहसील–जायल
3. नरसीराम पुत्र जयनारायण जाति–ढोली निवासी खिंयाला तहसील–जायल
4. चन्दूराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी–धानणी तहसील–जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आयचुकी पत्नि सोहनराम जाति–बावरी निवासी–पारेवड़ा तहसील–सुजानगढ़ जिला–चुरू
2. गुलाबी पत्नि रेखाराम जाति–बावरी निवासी निम्बी जोधा तहसील–लाडनूं जिला–नागौर
3. पुसी पत्नि उमाराम जाति–बावरी निवासी–पारेवड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला–चुरू
4. हड़मानराम पुत्र हीरा बावरी जाति बावरी निवासी खिंयाला तहसील–जायल जिला–नागौर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम अधिवक्ता वादीगण
2. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 04/02/2021

निर्णय

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी में दर्ज भूमि ग्राम खिंयाला तहसील जायल में खसरा नं. 2540/322 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, खसरा नं. 2541/322

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 2542/322 रकबा 3.0513 व खसरा नं. 322 रकबा 1.0279 के रूप में रहती चली आई है। उक्त मुतदाविया खेतायों की भूमि का पक्षकारान द्वारा सम्वत् 2072 में वादपत्र के पैरा संख्या 2 (क से घ) के अनुसार कर कब्जा काश्त हो गये। जो माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाने एवं मुतदाविया खेतायों में वादी संख्या 1 भागुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला तहसील-जायल के खसरा नं. 2541/322, वादी संख्या 2 गणपतराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम खिंयाला तहसील-जायल के खसरा नं. 2540/322, वादी संख्या 3 व 4 नरसीराम व चन्दूराम के सामलाती कब्जे काश्त में ग्राम खिंयाला तहसील-जायल के खसरा नं. 2542/322 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रमशः आयचुकी, गुलाबी, पुसी व हड़मान के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील-जायल की भूमि घोषित की जाने तथा उक्त डिक्री आदेश की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु जारी करने की इस्तदुआ वकील वादी द्वारा चाही गई।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने दिनांक 04.08.2020 को वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1-4 की ओर से इकबालिया जबाव तथा प्रतिवादी संख्या 5 सरकार जरिये केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह भागुराम पुत्र लालूराम, नरसीराम पुत्र जयनारायण, गणपतराम पुत्र रेखाराम के शपथ-पत्र पेश किये। गवाह गणपतराम के बयान कलमबद्ध किये गये जिसपर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2073-2076 नया खाता संख्या 458 खसरा नं. 2540/322, 2541/322, 2542/322, 322 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2069-2072 खाता संख्या 199 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2065-2068 खाता संख्या 120 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला नकल जमाबंदी सम्वत् 2029-2032 खाता संख्या 235 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2036-2039 खाता संख्या 335 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2041-2044 खाता संख्या 354 प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2045-2048 खाता संख्या 384 प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2049-2052 खाता संख्या 643 प्रदर्श-8, नकल जमाबंदी ग्राम

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

खिंयाला सम्वत् 2053–2056 खाता संख्या 742 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2057–2060 खाता संख्या 801 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2061–2064 खाता संख्या 99 प्रदर्श–11 कराये जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब व वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र को माफिक वाद स्वीकार किये जाने तथा मुतदाविया खेतायों के संबंध में चाही गई इस्तुआ के अनुसार वादी संख्या 1 भागुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2541/322 सम्पूर्ण, वादी संख्या 2 गणपतराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम–खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2540/322 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 व 4 नरसीराम व चन्दूराम के सामलाती कब्जे काश्त में ग्राम खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2542/322 रकबा 3.0512 हैक्टैयर, एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रमशः आयचुकी, गुलाबी, पुसी व हड़मान के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल की भूमि खसरा नं. 322 रकबा 1.0279 हैक्टैयर की भूमि घोषित की जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा बहस में किया गया।

चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रकरण में इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त खेताय की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की होना नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 2073–2076 के अवलोकन से होती है तथा दस्तावेज सूची फार्म नं. 3 के संलग्न प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 199 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2065–2068 खाता संख्या 120 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला नकल जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 खाता संख्या 235 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2036–2039 खाता संख्या 335 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2041–2044 खाता संख्या 354 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2045–2048 खाता संख्या 384 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2049–2052 खाता संख्या 643 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2053–2056 खाता

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

संख्या 742 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2057–2060 खाता संख्या 801 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी ग्राम खिंयाला सम्वत् 2061–2064 खाता संख्या 99 प्रदर्श–11 के अवलोकन से भूमि पुश्तैनी बडेर की होना सम्पुष्ट करता है। परन्तु नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 प्रदर्श–1 के अवलोकन से मुतदाविया खेतायों की भूमि में प्रत्येक खातेदार/काश्तकार क्रमशः आयचुकी का 127/3016 हिस्सा, गणपतराम का 55/377 हिस्सा, गुलाबी का 127/3016, चन्दूराम का 1/4 हिस्सा, नरसीराम का 1/4 हिस्सा, पुसी का 127/3016, भागुराम का 70/377 हिस्सा, हड़मान का 127/3016 का हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान द्वारा मुतदाविया खेतायों की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन चाहे जाने तथा वर्तमान नकल जमाबंदी में प्रत्येक खातेदार काश्तकार का अलग–2 हिस्सा होने तथा इस्तदुआ में पृथक–पृथक खसरों का विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद का निवेदन किया गया। जिस पर बहस उभय पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गयी।

वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दिनांक 04.08.2020 का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित किये गये तथा माफिक वादपत्र के बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाने तथा मुतदाविया खेतायों की भूमि में प्रत्येक खातेदार/काश्तकार क्रमशः आयचुकी का 127/3016 हिस्सा, गणपतराम का 55/377 हिस्सा, गुलाबी का 127/3016, चन्दूराम का 1/4 हिस्सा, नरसीराम का 1/4 हिस्सा, पुसी का 127/3016, भागुराम का 70/377 हिस्सा, हड़मान का 127/3016 का हिस्सा दर्ज होने के उपरान्त भी पक्षकारान द्वारा मुतदाविया खेतायों की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन चाहा, जबकि वर्तमान नकल जमाबंदी में प्रत्येक खातेदार काश्तकार का अलग–2 हिस्सा दर्ज है। वादपत्र की इस्तदुआ में सेपरेट खसरा की भूमि की घोषणा चाही है, जिससे खसरान की लगान में परिवर्तन होना स्वभाविक होने से वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद अधीन धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट को आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्रकरण हाजा में प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना तहसीलदार जायल द्वारा की गई तथा पक्षकारान के मध्य किया गया मुतदाविया खेतायों का बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/473 दिनांक 25.01.2021 प्राप्त हआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) में विहित है कि प्रकरण हाजा में प्राथमिक डिक्री तैयार किये जाने से पूर्व तहसीलदार जायल

04/02/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

द्वारा मौके पर उपस्थिति हेतु संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया गया। पक्षकारान मे से वादीगण भागुराम, गणपतराम, नरसीराम, चन्दूराम उपस्थित हुये तथा बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, 2 3, क्रमशः आयचुकी, गुलाबी अनुपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) पर वकील वादी को सुना गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हो रखा है तथा वकील प्रतिवादीगण ने माफिक पी.डी. प्रस्ताव तहसीलदार जायल बंटवारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की तथा पक्षकारान के मध्य में मुतदाविया खेतायो का माफिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 18.01.2021 में वर्णनानुसार विभाजन प्रस्ताव (पी.डी. रिपोर्ट) के अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये तथा वकील वादी एवं राजपैरोकार द्वारा प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करने तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने के निवेदन पर दिनांक 25.01.2021 में वर्णन अनुसार ग्राम खिंयाला तहसील जायल के मुतदाविया खेताय खसरा नं. 2540/322 रकबा 0.8903, खसरा नं. 2541/322 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नं. 2542/322 रकबा 3.0513 हैक्टेयर, व खसरा नं. 322 के संबंध में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव (प्राथमिक डिक्री) अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश : –

यत् वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में ग्राम खिंयाला तहसील जायल के खसरा नं. 2540/322 खसरा नं. 2541/322 , खसरा नं. 2542/322 व खसरा नं. 322 की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद पत्र में पारीत प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 29.12.2020 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट दिनांक : 04.02.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भागुराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2541/322 रकबा 1.1331 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
2. वादी गणपतराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2540/322 रकबा 0.8903 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

3. वादी नरसीराम व चन्दूराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2542/322 रकबा 3.0513 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रमशः आयचुकी, गुलाबी, पुसी, हड़मान के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 322 रकबा 1.0279 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री (बंटवाड़ा प्रस्ताव) निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04/02/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

04/02/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर * एस.डी.ओ. जायल

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 21 / 2020

वादीगण

1. भागुराम पुत्र लालूराम जाति–मेहत्तर निवासी–ऊंटालड़ तहसील–सुजानगढ़ जिला–चुरू
2. गणपतराम पुत्र रेखाराम जाति–मेहत्तर निवासी–खिंयाला तहसील–जायल
3. नरसीराम पुत्र जयनारायण जाति–ढोली निवासी खिंयाला तहसील–जायल
4. चन्दूराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी–धानणी तहसील–जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आयचुकी पत्नि सोहनराम जाति–बावरी निवासी–पारेवड़ा तहसील–सुजानगढ़ जिला–चुरू
2. गुलाबी पत्नि रेखाराम जाति–बावरी निवासी निम्बी जोधा तहसील–लाडनूं जिला–नागौर
3. पुसी पत्नि उमाराम जाति–बावरी निवासी–पारेवड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला–चुरू
4. हड़मानराम पुत्र हीरा बावरी जाति बावरी निवासी खिंयाला तहसील–जायल जिला–नागौर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम अधिवक्ता वादीगण
2. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 04.02.2021

– : : डिक्री : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री योगेश शर्मा प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर निम्न प्रकार डिक्री किये जाने का हुक्म दिया जाता है कि :

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

6. वादी भागुराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2541/322 रकबा 1.1331 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
7. वादी गणपतराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2540/322 रकबा 0.8903 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
8. वादी नरसीराम व चन्दूराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 2542/322 रकबा 3.0513 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
9. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रमशः आयचुकी, गुलाबी, पुसी, हड़मान के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा खिंयाला तहसील–जायल के खसरा नं. 322 रकबा 1.0279 हैक्टैयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
10. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/नजरी नक्शा दिनांक 04.02.2021 डिक्री आदेश का भाग रहेगा

04/07/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** – खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....04/07/2021........ को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

04/07/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)